(नियम 20)

जज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

रामदुलारी बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा दावा नं० 170/2018 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	25/7 सुनवाई पत्र हुई। वकीलों द्वारा बाद स्थगन/ P. O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से अगली तारीख पेशी हो गई। आदेश की पालना में दिनांक 16/6/21 को पेश हो।	
	16/6/21 सुनवाई पत्र हुई। वकीलों द्वारा बाद स्थगन/ P. O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से अगली तारीख पेशी हो गई। आदेश की पालना में दिनांक 4/8/21 को पेश हो।	
	4.8.21 पत्रावली प्रस्तुत हुई, प्रार्थिनी वादी द्वारा तलबी प्रतिवादी [illegible] AD तामील कर दिनांक 14.9.21 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर बांदीकुई (दौसा)	
	14/9/21 सुनवाई पत्र हुई। वकीलों द्वारा बाद स्थगन/ P. O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से अगली तारीख पेशी हो गई। आदेश की पालना में दिनांक 25/11/21 को पेश हो।	
	28.9.2021 पत्रावली वादी द्वारा प्रा० पत्र वाद विड्रा किये जाने का पेश करने पर नस्ती होने पर पेश हुई वादी प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हुए कहते है वादी वाद विड्रा [illegible] बावजूद वादी [illegible] बावजूद किसे पहचान [illegible] वादी के वाद विड्रा किये जाने से वाद कार्यवाही समाप्त की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर वाद नस्तीबद्ध दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2021.10.27 00:38:48 IST
Reason: SelfAttested

28/9/21

Scanned with CamScanner